



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072025-264985
CG-DL-E-26072025-264985

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3357]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 2025/श्रावण 3, 1947

No. 3357]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2025/SHRAVANA 3, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2025

का.आ. 3434(अ).—केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) जिसे इसीमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि उत्तर प्रदेश राज्य के कौशाम्बी जिले में NH731ए के कि. मी. 49.150 से की.मी. 112.950 कौशाम्बी तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण / पेव्ड शोल्डर सहित 2 – लेन/ 4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन निचे अनुसूचीमें दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पुर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी/अतिरिक्त उप-जिलाधिकारी कौशाम्बी के लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता के व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जैसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों के अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना को अंतर्गत आने वाली भूमि के भूमि योजनाएं और अन्य ब्योरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्ति यों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के कौशाम्बी जिले में NH731ए के कि. मी. 49.150 से की.मी. 112.950 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्तविवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: कौशाम्बी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मंझनपुर					
गांव का नाम: निगहा					
1	219	निजी	कृषि	0.2514 (हेक्टेयर)	0.2514
2	222	निजी	कृषि	0.2057 (हेक्टेयर)	0.2057
3	223	निजी	कृषि	0.0874 (हेक्टेयर)	0.0874
कुल योग					0.5445

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH(O)/16/NH-731A/2020-21/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2025

S.O. 3434(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), (here in after referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Construction (Widening/two lane with paved shoulder/ four laning etc.) maintenance, management and operation of NH731A in the stretch of land from Km 49.150 to Km 112.950 in the district of KAUSHAMBI in the state of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquired such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under –section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the **Competent Authority / ADC Kaushambi** in writing and shall set out the grounds there of and the competent authority shall give the objector and opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objection and after making such further enquire, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULES

Brief description of the land to be acquired, with or without structures falling NH731A in the stretch of land from Km. 49.150 to Km. 112.950 in the district of KAUSHAMBI in the state of Uttar Pradesh.

State: UTTAR PRADESH			District: KAUSHAMBI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Manjhanpur					
Village: Nigaha					
1	219	Private	Agriculture	0.2514 (Hectare)	0.2514
2	222	Private	Agriculture	0.2057 (Hectare)	0.2057
3	223	Private	Agriculture	0.0874 (Hectare)	0.0874
Total					0.5445

[F. No. CE-RO/LKO/NH(O)/16/NH-731A/2020-21/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director